

26/10/2020

2012  
00816

पत्रपत्नी वेद्य हरी अखिलमता वादी ने  
दिनांक 23/10/2020 की ऑनलाइन पर  
अंकित किया कि वे प्रकाश में कार्यवाही नहीं  
चाहते है पूर्व में आवेदन पत्र कर रखा है  
हमने पत्रपत्नी का अवलोकन किया।  
वादीया की ओर से दिनांक 14/3/2015 को  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वादीया  
विद्वे के आचार पर प्रकाश प्रकाश कराना  
चाहते है तथा अन्य कार्यवाही हेतु अपने  
अधिकार सुरक्षित रखते हुए प्रकाश विद्वे  
के आचार पर प्रकाश प्रकाश जावे।

(श्याम सुन्दर बिशोई)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़ (राज.)



बादीया शय दिनांक 15/3/2015 को प्रस्तुत  
 उक्त प्रार्थना पत्र बिना मार्केट परावर्ती  
 में प्रलोक है। - चूंकि बादीया इस प्रकार  
 में कोई कार्रवाही नहीं चाहते हैं अतः  
 प्रार्थना का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता  
 है एवं प्रार्थना का अन्य कार्रवाही हेतु  
 अधिकार सुरक्षित रखते हुए वार विज्ञे  
 में स्वारीज किया जाता है परावर्ती के लिये  
 शुमार होकर नम्बर से कम है।

(श्याम सुन्दर बिशनोई)  
 सहायक कलेक्टर एवं  
 उपखण्ड अधिकारी  
 चित्तौड़गढ़ (राज.)